

राजस्थान सरकार

शिक्षा विभाग

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ १ (175)स्था/निकाशी/११/ ५३७

दिनांक: 27 सितम्बर, 2011

:: आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ 1 (175)स्था / निकाशि / 11 / 426 दिनांक 20.09.2011 के द्वारा विभिन्न अनुदानित महा. से राज्य सेवा में अभिमुखीकरण कार्यक्रम के तहत उपस्थिति दे रहे विभिन्न विषय के व्याख्याताओं की अभिमुखीकरण कार्यक्रम के एक सप्ताह / आगामी आदेशों तक की वृद्धि की गयी थी की निरन्तरता में निर्देशानुसार अभिमुखीकरण कार्यक्रम की अवधि में 15 दिवस / आगामी आदेशों तक की और वृद्धि की जाती हैं।

संयुक्त-निदेशक
(प्रशासन)

क्रमांक: एफ 1 (175)स्था / निकाशि / 11 / ५३७ दिनांक: २७ सितम्बर, २०११
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
 2. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
 3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
 4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
 5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
 6. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
 7. शासन, उप सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
 8. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
 9. संयुक्त निदेशक (स्थापना), निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
 10. संयुक्त निदेशक (अनुदान), निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
 11. लेखाधिकारी, शिक्षा (ग्रुप 5) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
 12. संबंधित सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान ।
 13. संबंधित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यलय, राजस्थान ।
 14. संबंधित व्याख्याता ।
 15. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त—निदेशक